तटस्थ उद्धरण संख्या : 2023/डीएचसी/**2477-डीबी**

दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

<u>निर्णय की तिथिः</u> **<u>11 अप्रैल, 2023</u>**

रि.या. (सि.) 3252/2019

बीरेंद्र कुमार पासवान एवं अन्य ....याचिकाकर्ता

द्वारा : श्री अंकुर छिब्बर, अधिवक्ता

बनाम

भारत संघ और अन्य ...प्रत्यर्थीगण

द्वारा : श्री जिवेश तिवारी, वरिष्ठ पैनल अधिवक्ता के साथ श्री जितेन्द्र कुमार त्रिपाठी जी पी एवं सुश्री समीक्षा, अधिवक्ता के साथ सी.आई.एस.एफ के निरीक्षक संजय कुमार |

कोरम :
माननीय न्यायमूर्ति श्री सुरेश कुमार कैत
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री नीना बंसल कृष्णा

<u>निर्णय (मौखिक)</u>

1. याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत वर्तमान

रिट याचिका दायर की है जिसमें निम्नलिखित राहत की मांग की गई है:

> "i. दिनांक 24.11.2015 को जारी हेड कांस्टेबल/क्लर्क की अस्थायी परस्पर वरिष्ठता सूची को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण लेख जारी करना; एवं
>
> ii. दिनांक 27-01-2016 के आदेश को रद्द करने के लिए एक रिट/आदेश/निर्देश जारी करना, जिसके द्वारा प्रत्यर्थीगण ने याचीगण के अभ्यावेदन को अस्वीकार कर दिया।
>
> iii.प्रत्यर्थीगण द्वारा दिनांक 22.10.2018 को जारी किए गए पत्र/आदेश को रद्द/रद्द करने के लिए उत्प्रेषण लेख प्रकार की एक रिट/आदेश/निर्देश जारी करें |
>
> iv.प्रत्यर्थीगण के खिलाफ रिट/परमादेश/निर्देश जारी करना ताकि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा ज़ारी कार्यालय ज्ञापन के संबंध में याचीगण की सही वरिष्ठता को बहाल किया जा सके।
>
> V ऐसा कोई भी आदेश/निर्देश पारित करें जिसे यह माननीय न्यायालय न्याय के हित में उचित और उचित समझे।"" "."

2. प्रत्यर्थी सं. 1 से 3 की ओर से दायर अतिरिक्त शपथ पत्र को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय द्वारा पारित निदेशों के अनुसरण में, याची की प्रार्थना वरिष्ठता के पुनरीक्षण की सीमा तक संतुष्ट है।

3. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि प्रत्यर्थीगण को डीपीसी का पुनरीक्षण का संचालन करना है और

तदनुसार याचिकाकर्ता को पारिणामिक लाभ दिए जाने हैं।

4. प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता निर्देशों पर प्रस्तुत करते हैं कि डीपीसी समीक्षा दो महीने के भीतर आयोजित की जाएगी और तदनुसार याचिकाकर्ता को पारिणामिक लाभ दिए जाएंगे, यदि वे अन्यथा पात्र पाए जाते हैं।

5. तदनुसार याचिका का निपटान किया जाता है।

6. आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटान किया जाता है।

(सुरेश कुमार कैत)

न्यायमूर्ति

(नीना बंसल कृष्णा)

न्यायमूर्ति

11अप्रैल, 2023/वीए

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

तटस्थ उद्धरण संख्या : 2023/डीएचसी/**2477-डीबी**

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*